उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 204 वीं बैठक
दिनांक 1 सितम्बर, 2008

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 204 वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री हरमिन्दर राज सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण उपस्थित रहे :-

1	श्री हरमिन्दर राज सिंह	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	श्री मदन लाल बिन्द	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
3	श्री अच्छे लाल निषाद	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
4	श्री हीरा लाल कश्यप	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
5	श्री अनिल सन्त	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र	विशेष सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त , उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	श्री ओंकार सिंह	ओ0एस0डी0, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
8	श्री यू0 के0 गुप्ता	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
9	श्री एस0 एन0 राम	मुख्य अभियंता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

विशेष आमंत्री

10	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	वि0आमंत्री

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया। आवास आयुक्त द्वारा निदेशक मण्डल के समक्ष उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण तथा आय–व्यय, सम्पत्ति निस्तारण, भूमि अर्जन, निर्माण एवं विकास तथा वृक्षारोपण के सम्बन्ध में Power Point Presentation प्रस्तुत किया गया, जिसपर निदेशक मण्डल द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। वृक्षारोपण के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि लगाये गये वृक्षों की सिचांई व सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श करके सुनिश्चित किया जाय।

इसके पश्चात मदवार निम्न निर्णय लिये गये :-

मद सं0	विषय	निर्णय
204/1	परिषद की 203वीं बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
204/2	परिषद की 203वीं बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2008 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

भूमि अर्जन अनुभाग

204/3	वृंदावन योजना संख्या–4, लखनऊ में ट्रामा सेंटर के निर्माण हेतु एस0जी0पी0जी0आई0 को भूमि हस्तान्तरण (आदान–प्रदान) के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

लेखा अनुभाग

204/4	लेखा परीक्षा उपसमिति की बैठक दिनांक 31.07.08 का कार्य वृत्त।	प्रस्ताव अवलोकित करते हुए निर्देश दिये गये कि भविष्य में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तरों के निस्तारण तथा महा लेखाकार द्वारा सम्प्रेषित ड्राफ्ट पैराग्राफ का स्पष्टीकरण/आख्या निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

204/5	परिषद में इन्टीग्रेटेड आवास योजना के अन्तर्गत मेसर्स एलाइन्स प्रमोटर्स लिमिटेड बरेली द्वारा चिन्हांकित भूमि को परिषद कार्यक्षेत्र को सम्मिलित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
204/6	इन्टीग्रेटेड विकास नीति के अन्तर्गत बल्क भूमि आबंटन प्रणाली के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

संपत्ति प्रबंध अनुभाग

204/7	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर–19 में आफिस–कम–रेजीडेंस एवं स्टाफ क्वार्टर हेतु भूखण्ड संख्या–19/5–12 के निर्माण हेतु अनापत्ति के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त करते हुए निर्देश दिये गये कि आरोपित शुल्क विभाग से लिया जाये। इस हेतु सम्बन्धित विभाग अतिरिक्त बजट की व्यवस्था कराये।
204/8	मा0 कांशी राम नगर आवास योजना में निर्मित भवनों एवं भूखण्डों के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि रिक्त सम्पत्तियों का पुनः विज्ञापन कराकर नियमानुसार पात्रता चयन किया जाये।
204/9	शेखूपुरा योजना, (विकास नगर) लखनऊ में स्थित एस0एफ0एस0–91ए–93/176 प्रकार का भवन संख्या–895, माननीय उपाध्यक्ष श्री अच्छे लाल निषाद को आबंटन किए जाने के संबंध में।	नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

भूमि अर्जन अनुभाग

204/10	सर्कुलर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, हरदोई की धारा–28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
204/11	भूमि विकास एवं गृह स्थान प्रथम विस्तार आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ के धारा–28 के प्रस्ताव हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

लेखा अनुभाग

204/12	छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को परिषद में लागू करने हेतु प्रस्ताव।	सैद्धान्तिक सहमति देते हुए यह निर्देशित किया कि प्रकरण का परीक्षण कराकर शासन को संदर्भित किया जाये।
204/13	वित्तीय वर्ष 2007–08 की बैलेन्स शीट/वार्षिक लेखों के संबंध में।	प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

204/14	दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के भूमि के अन्तरण के संबंध में।	शासनादेश अंगीकृत करते हुए निर्देश दिये गये कि आवास एवं विकास परिषद नोडल ऐंजेन्सी के रूप में नियमानुसार निजी क्षेत्र के विकासकर्ता का चयन कर ज्वाइंट वेन्चर के माध्यम से प्रश्नगत भूमि के विकास का कार्य करेगी।
204/15	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	–

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अनिल संत)
आवास आयुक्त

अनुमोदित

(हरमिन्दर राज सिंह)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष